रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

CENTRAL SECRETARIAT
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 1996/अग्रहायण 15, 1918
No. 413] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1996/AGRAHAYANA 15, 1918

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1996

सा० का० नि० 557 (अ).—स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव जो उक्त प्रारूप की बाबत पैंतालीस दिन की पूर्वोक्त अवधि से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 1996 है।

2. स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21 के अन्त में निम्नलिखित उपनियम (9) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(9)ऊपर उपनियम (1) से (8) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, द्रवित पेट्रोलियम गैस के भण्डारण के पात्रों को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्रीय सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भूमिगत रखा जा सकता है या मिट्टी से ढका जा सकता है।"

3. उक्त नियमों के नियम 50 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम (1) रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति, जो संपीड़ित गैस के किसी दाब पात्र में, भण्डारण के लिए (प्रारूप III में) या किसी यान द्वारा किसी दाब पात्र में संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए प्रारूप IV में, मंजूर की जाए या नवीकृत की जाए, उस वर्ष के 31 मार्च, पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी जिस वर्ष तक के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत की गई है, किन्तु वह अधिक से अधिक तीन वर्ष के लिए होगी।

(ख) उप नियम (3) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 55 के उपनियम (2) में "प्रारूप IV में अनुज्ञप्ति से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने स्तंभ (3) के नीचे "संस्थापन में" शब्दों के स्थान पर "दाब पात्र में" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ (3) के नीचे "संपीड़ित गैस" शब्दों से पूर्व "दाब पात्र में" शब्द रखे जाएंगे।

6. इन नियमों से संलग्न प्ररूप 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप—4

(नियम 49 और नियम 50 देखिए)

यान द्वारा दाब पात्र में संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ..... फीस रु. .....

श्री ..... को निम्नलिखित विवरण के यान द्वारा संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के तथा इस अनुज्ञप्ति में दी गई अतिरिक्त शर्तों के अधीन, मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 31 मार्च, 19 तक विधिमान्य रहेगी।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

जारी करने की तारीख :

यान का विवरण

मेक और माडल ..... इंजन सं. .....

चैसिस सं. ..... रजिस्ट्रीकरण सं. .....

रजिस्टीकृत स्वामी का नाम .....

यान में ले जाने वाली संपीड़ित गैस का रासायनिक नाम .....

कन्टेनर की प्राधिकृत वहन क्षमता .....

नवीकरण का पृष्ठांकन

नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर औ कार्यालय स्टांप

यदि अनुज्ञप्त यान स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अध्याय 2 और अध्याय 4 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है या जिन नियमों या शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो तीन हजार रु. तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।

[फा. सं. 2/3/95-विस्फोटक]

पी. जी. मांकड़, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1996

G.S.R. 557(E).—The following draft of certain rules to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification is made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the draft before the expiry of aforesaid period of forty-five days shall be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. These Rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Amendment Rules, 1996.
2. In rule 21 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), the following sub-rule (9) shall be added at the end, namely :

   "(9) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (8) above, vessels for storage of liquified petroleum gas can be placed underground or covered by earth in such manner and subject to such conditions as may be specified by a Notification by the Central Government."
3. In Rule 50 of the said rules,—

   (a) in sub-rule (1), after the words "compressed gas" the words "in a pressure vessel, in Form-IV" for the transport of the compressed gas in a pressure vessel by a vehicle" shall be inserted ;

   (b) sub-rule (3) shall be omitted.
4. In Rule 55 of the said rules, in sub-rule (2), the words "other than a licence in Form-IV," shall be omitted.
5. In the Schedule annexed to the said rules,—

   (a) against serial No. 1, under column 3, for the words, "in an installation", the words "in pressure vessels" shall be substituted ;

   (b) against serial number 2, under column 3, after the words "compressed gas" the words "in a pressure vessel" shall be inserted.
6. For Form-IV appended to the said rules, the following Form shall be substituted, namely :

FORM-IV

(See Rules 49 & 50)

LICENCE TO TRANSPORT COMPRESSED GAS IN A PRESSURE VESSEL BY A VEHICLE

Licence No. ....Fee Rs. .....

Licence is hereby granted to ....

to transport compressed gas by the vehicle as described below subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

This licence will remain valid upto the 31st day of March .....(year).

Chief Controller of Explosives

Date of Issue :

DESCRIPTION OF THE VEHICLE

Make and Model ..... Engine Number .....

Chassis Number ..... Registration Number .....

Name of the registered owner .....

Chemical name of the compressed gas to be carried in the Vehicle .....

Authorised carrying capacity of the container .....

ENDORSEMENT OF RENEWALS

Date of Renewal	Date of Expiry	Signature and Office Stamp of the Licensing Authority

This licence is liable to be cancelled if the licenced vehicle is not found conforming to the requirements of chapters II and IV of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981, or for the contravention of any of the said Rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees, or with both.

[F. No. 2/3/95- EXPL.]

P. G. MANKAD, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996